न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 50/2021

प्रतापचन्द पुत्र श्री जवाहरमल जाति जाट निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

प्रार्थीगण

बनाम

1. दलिपकुमार पुत्र श्री जवाहरमल जाति जाट निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. रणवीरसिंह पुत्र हाल निवासी प्लाट न0 8 शिवनगर टोंक रोड़ सांगानेर जयपुर।
3. कृष्णकान्त कस्वा पुत्र श्री श्यामलाल जाति जाट निवासी केपी वर्ल्ड हाटल राजपूत छात्रावास के पास सिविल लाईन जयपुर रोड़ सीकर।
4. विनिता पुत्री श्री श्यामलाल जाति जाट निवासी केपी वर्ल्ड हाटल राजपूत छात्रावास के पास सिविल लाईन जयपुर रोड़ सीकर।
5. सुरेन्द्र पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी महनसर तहसील मण्डावा जिला झुझुनू
6. विजेन्द्र पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी महनसर तहसील मण्डावा जिला झुझुनू
7. शंकरलाल पुत्र हनुमानाराम जाति नाई निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
8. गायत्री देवी पत्नी महावीर जाति नाई निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
9. सुशील पुत्र महावीर जाति नाई निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
10. मुकेश पुत्र महावीर जाति नाई निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
11. जगदीश पुत्र हनुमानाराम जाति नाई निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
12. महेन्द्र पुत्र हनुमानाराम जाति नाई निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
13. पवन कुमार पुत्र हनुमानाराम जाति नाई निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनू
15. हर आम व खास

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र इन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अ.आ. 39 नियम 1 व 2 तथा 151 सीपीसी

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.05.2022

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम महनसर पटवार हल्का महनसर की सरहद में भूमि गत ख0न0 379 रकबा 2 बीधा 14 बिश्वा हाल ख0न0 903 रकबा 0.30 है0, ख0न0 904 रकबा 0.03 है0, ख0न0 905 रकबा 0.15 है0, ख0न0 906 रकबा 0.05 है0, 947 रकबा 0.04 है0, ख0न0 948 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 949 रकबा 0.06 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.68 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 की सह खातेदारी की भूमि रही है। वादग्रस्त भूमि में भींवाराम पुत्र गंगाराम का सम्वत 2012 की जामबंदी में 2/3 हिस्से का उप काश्तकार दर्ज है। तथा कृषि काल 3 वर्ष दर्ज है। इस प्रकार 2/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार भींवाराम हुआ। शेष 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार अनावेदकगण 6 लगायत 13 के पूर्वज धन्नाराम व उसके वारिस हुए। परन्तु राजस्व रिकार्ड बिड़दनाथ पुत्र हुक्मा जाति जोगी के नाम बन गया जबकि इस नाम का व्यक्ति ग्राम महनसर में निवास नहीं करता। भींवाराम के हिस्से की 2/3 भूमि पर भींवाराम के पश्चात आवेदक व अनावेदक

न0 1 लगायत 6 काबिज काश्त हुये तथा मौके पर ख0न0 903 में पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है जिसमें सांवरमल के वारिसान का कोई हक हिस्सा नहीं है। उनके हिस्से में अलग मकानात है। आवेदक व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 भींवाराम के हिस्से की 2/3 भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित करवाने के अधिकारी है तथा ख0न0 903 में पूर्व से आबाद है जिसमें काफी पुरानी हवेली बनी हुई है। अनावेदक न0 1 दलिपकुमार ख0न0 903 के सम्पूर्ण हिस्से पर कब्जा करना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। ख0न0 903 में दलिपकुमार ने अपने हिस्से से अधिक भूमि पर पुख्ता निर्माण कर रखा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अनावेदक संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह भूमि ख0न0 903 में खाली भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करे, दावे के निर्णय तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में आवेदक का कोई हक हिस्सा नहीं है ख0न0 903 की सम्पूर्ण भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के मकानात बने हुये है इसलिये अप्रार्थी न0 1 का ख0न0 903 की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करना चाहने का प्रश्न ही नही है। प्रार्थी विवादित का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। विवादित जमीन का खातेदार काश्तकार बिड़दीनाथ है वर्तमान जमांबदी में भी बिड़दीचन्द का नाम दर्ज रिकार्ड है उसके बावजूद बिड़दीचन्द को पक्षकार नहीं बनाया गया है। बिड़दीचन्द को पक्षकार बनाये बिना दावे का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये झूठा प्रार्थना पत्र व दावा पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ख0न0 903 में निर्माण कर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अतः अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि नया निर्माण नहीं करें जो वर्तमान में निर्माण कर लिया है, उसको पूर्ण करलें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के पास कोई रिकार्डेड खातेदारी अधिकार नहीं है। भूमि की खातेदारी बिड़दीचन्द के नाम दर्ज है। इसलिये प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो निम्नानुसार है :–

1. आरएलडब्ल्यू 2019(1)राज. पेज–525 :– माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में दायर एस.बी. सिविल अपिल संख्या 15126/2018 उनवान महावीर मीना बनाम मुरारी मीना निर्णय दिनांक 08.08.2018
2. एआईआर 1987 पेज–1492 :– माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील संख्या 2806/1986 निर्णय दिनांक 12.08.1986
3. डीएनजे 2014(3)राज. पेज–1070 :– माननीय उच्च न्यायालय जयपुर धनश्याम बनाम मूलसिंह व अन्य निर्णय दिनांक 21.05.2014
4. डब्ल्यूएलसी 2007(2) पेज– 88 :– माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील 19322/2004 निर्णय दिनांक 04.12.2006
5. आरआरटी 2011(2) पेज–1170 :– संदस्य राजस्व मण्डल अजमेर अपील 8670/2009 निर्णय दिनांक 23.05.2011
6. आरएलडब्ल्यू 2008(1)आरजे पेज–239 :– उच्चतम न्यायालय सिविल अपील 831/2002 निर्णय दिनांक 06.02.2008

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने भूमि ख0न0 903 में खाली भूमि में अनावेदक न0 1 द्वारा कोई निर्माण नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वादी के हक में सुविधा का संतुलन नहीं होने से प्रतिवादी के हक अधिकारों का अनावश्यक रूप से हनन होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्तागणों द्वारा पेश की गई दलीलों एवं साक्ष्य सबूतो से प्रथदृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किय जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायिक दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/5/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर